

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 09/2021

अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ...वादी

ब ना म

1. महेन्द्र कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कंवलजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बलजीत कौर पुत्री अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजेन्द्र कौर पुत्री अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. परविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रविन्द्र सिंह पुत्र कवलजीत सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ...प्रतिवादीगण



उपस्थित- श्री रोबिन गुम्बर
श्री सुशील बिश्नोई
राज पैरोकार

(वादी)
(प्रतिवादी 1-7)
(प्रतिवादी 8)

दिनांक 16.08.2021

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु0 नं0 30 में कुल 6.200 हैक्टे0 नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर के नाम व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 55/24 के मु0 नं0 18, 19 में कुल 3.100 हैक्टे0 नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न दावा है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर मुझ वादी की माता हैं, तथा अन्य प्रतिवादीगण मुझ वादी के भाई/बहिन व पुत्र/भतीजे हैं, उक्त वादाधीन भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर के नाम है, की समस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद है, इसलिए उक्त वादाधीन भूमि में मुझ वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है, जिसे मैं वादी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, इसलिए प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का सन्तुलन मुझ वादी के हक में बनना पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर काफी वृद्ध हो चुकी है, इसलिए आज से कुछ माह पूर्व मुझ वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त समस्त भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र कौर के नाम है, की भूमि का किलेवाईज घरेलू बंटवारा हो चुका है, जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को घरेलू बंटवारानामा में निम्न भूमि किलेवाईज प्राप्त हुई है:-

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी राजेन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 6 ता 15 की 2.530 है0 व किला सं0 16 की 0.025 है0 किला संख्या 25 की 0.026 है0 कुल 2.581 है0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में वादी राजेन्द्र सिंह को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 रणजीत सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 17 की 0.151 है0, किला सं0 18 ता 20 प्रत्येक सालम, किला सं0 21 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है0, किला सं0 25 में 0.202 है0 कुल 2.024 है0 नहरी घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी सं0 2 रणजीत सिंह को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 कवलजीत सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 16 में 0.228 है0, किला सं0 17 में 0.102 है0 कुल 0.330 है0 व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 55/24 के मु0 नं0 19 की कुल 1.239 है0 इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 1.569 है0 भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी सं0 3 कवलजीत सिंह को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 6 परविन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 1 ता 5 की 1.265 है0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 6 परविन्द्र सिंह को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 रविन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 55/24 के मु0 नं0 18 की 1.861 है0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 7 रविन्द्र सिंह को प्राप्त हुई है। वादी घरेलू बंटवारानामा अनुसार प्राप्त हुई भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने का अधिकारी है, और इसी को घोषणा करवाना चाहता है, इसलिए प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का सन्तुलन मुझ वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। आज से 2-4 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवारानामा अनुसार भूमि का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये, जो यही वाद का कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी का निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:—

(क) तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 6 ता 15 की 2.530 है0 व किला सं0 16 की 0.025 है0 किला संख्या 25 की 0.026 है0 कुल 2.581 है0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को खातेदार मालिक घोषित किया जावे तथा रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिनांक 22.01.21 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर एवं प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यों के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:—

वादी राजेन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु0 नं0 30 के किला सं0 6 ता 15 की 2.530 है0 व किला सं0 16 की 0.025 है0 किला संख्या 25 की 0.026 है0 कुल 2.581 है0 नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में वादी राजेन्द्र सिंह को खातेदार घोषित

किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 रणजीत सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु०नं० 30 के किला सं० 17 की 0.151 है०, किला सं० 18 ता 20 प्रत्येक सालम, किला सं० 21 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है०, किला सं० 25 में 0.202 है० कुल 2.024 है० नहरी घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी सं० 2 रणजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 कवलजीत सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु०नं० 30 के किला सं० 16 में 0.228 है०, किला सं० 17 में 0.102 है० कुल 0.330 है० व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 55/24 के मु० नं० 19 की कुल 1.239 है० इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 1.569 है० भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी सं० 3 कवलजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 परविन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु०नं० 30 के किला सं० 1 ता 5 की 1.265 है० नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 6 परविन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 रविन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 55/24 के मु० नं० 18 की 1.861 है० नहरी भूमि घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 7 रविन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जावे।



दिनांक 09.02.21 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में चक 15 जी छोटी, पटवार हल्का जोधेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावद तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 47/48 एवं चक 16 जी छोटी, पटवार हल्का जोधेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावद तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 55/24 की फोटो प्रति एवं पासबुक की फोटो प्रति दिनांक 02.05.93 एवं विरासतन इंतकाल चक 16 जी छोटी पटवार हल्का जोधेवाला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावद खाता संख्या 24/30 की प्रमाणित प्रति तहसील व जिला श्रीगंगानगर पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबन्दी के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी राजेन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु० नं० 30 के किला सं० 6 ता 15 की 2.530 है० व किला सं० 16 की 0.025 है० किला संख्या 25 की 0.026 है० कुल 2.581 है० नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 02 रणजीत सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु०नं० 30 के किला सं० 17 की 0.151 है०, किला सं० 18 ता 20 प्रत्येक सालम, किला सं० 21 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है०, किला सं० 25 में 0.202 है० कुल 2.024 है० नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 03 कवलजीत सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु०नं० 30 के किला सं० 16 में 0.228 है०, किला सं० 17 में 0.102 है० कुल 0.330 है० व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 55/24 के मु० नं० 19 की कुल 1.239 है० इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 1.569 है० भूमि व प्रतिवादी संख्या 06 परविन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के


सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मु0नं0 30 के किला सं0 1 ता 5 की 1.265 है0 नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 07 रविन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं0 55/24 के मु0 नं0 18 की 1.861 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।



तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.08.2021 को जारी किया गया।


उम्मेद सिंह रतनू
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फा. श्रीगंगानगर)

डिकी
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 09/2021
अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
....वादी

ब न म

1. महेन्द्र कौर पत्नी अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कंवलजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बलजीत कौर पुत्री अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजेन्द्र कौर पुत्री अमरीक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. परविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रविन्द्र सिंह पुत्र कवलजीत सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी गांव 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ...प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री रोबिन गुम्बर (वादी)
श्री सुशील बिश्नोई (प्रतिवादी 1-7)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 8)

दिनांक 24.08.2021



वादपत्र संख्या 09/2021
अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या-6 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी राजेन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/48 के मु० नं० 30 के किला सं० 6 ता 15 की 2.530 है० व किला सं० 16 की 0.025 है० किला संख्या 25 की 0.026 है० कुल 2.581 है० नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 02 रणजीत सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु० नं० 30 के किला सं० 17 की 0.151 है०, किला सं० 18 ता 20 प्रत्येक सालम, किला सं० 21 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है०, किला सं० 25 में 0.202 है० कुल 2.024 है० नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 03 कवलजीत सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु० नं० 30 के किला सं० 16 में 0.228 है०, किला सं० 17 में 0.102 है० कुल 0.330 है० व तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत्

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर


2073-2076 के खाता सं० 55/24 के मु० नं० 19 की कुल 1.239 है० इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 1.569 है० भूमि व प्रतिवादी संख्या 06 परविन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 जी छोटी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 47/48 के मु० नं० 30 के किला सं० 1 ता 5 की 1.265 है० नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 07 रविन्द्र सिंह को तहसील श्रीगंगानगर के चक 16 जी छोटी जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता सं० 55/24 के मु० नं० 18 की 1.861 है० नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः डिक्री जारी की जाती है।


रूपये ...शून्यवास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 अगस्त, 2021 को जारी की गयी.




 उम्मेद सिंह रतनू
 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00


 उम्मेद सिंह रतनू
 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर